जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 14.05.2025

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता रायसिंह पुत्र फूलचन्द निवासी किड़हरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 अनिल यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता शोभे पुत्र जगनरायन निवासी वार्ड नं0 02 राजेन्द्र नगर, नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, का0 छोटेलाल।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता संतराज पुत्र चोलई केवट निवासी छपिया पराग थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 अंगद गुप्ता।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 5996 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कुनी से कालर ने चार पहिया वाहन के कुत्ते से टकरा जाने से कार सवार महिला (1.निक्की पुत्री मुकेश ग्राम मुण्डेरवा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त महिला को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राजनाथ यादव, आ0 शेषनाथ गौंड, हो0चा0 राकेश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 वाहनों से 1,38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 143 वाहनों से 1,38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*** “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप व्यपहरण के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 6000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय – जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1169/2010 धारा 366 भादवि के मामलें में अभियुक्त मो0 सईद पुत्र वकील अहमद निवासी नावनखुर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर दोषमुक्त किया गया तथा धारा 363 भादवि के अपराध हेतु दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 14.05.2025 को मा0 न्यायालय– ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1359/2009 धारा 323/504/506/308 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता रमेश पुत्र रामपति निवासी बेलाडीह थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 6,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

अभियुक्त रमेश पुत्र रामपति को धारा 323 के तहत 06 माह का कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 304 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के संबंध में 04 अभियुक्तगण को 06-06 माह के सदाचरण, 25-25 हजार के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू दाखिल करने की शर्त पर नियमानुसार अवमुक्त किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 14.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1001/2014 धारा 323/204/354(i) भा0द0वि0 व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्तगण 01. इमरान पुत्र इनामुद्दीन 02. अरमान पुत्र अब्दुल कादिर 03. मुफीद पुत्र अब्दुल लतीफ 04. शायरा पत्नी मोहसीन खां निवासीगण पचपोखरी थाना दुधारा को अन्तर्गत धारा 354(i) भा0द0वि0 व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया है व अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323/504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए उन्हें 06-06 माह तक सदाचार बनाये रखने की शर्त, 25-25 हजार के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू दाखिल करने की शर्त पर नियमानुसार अवमुक्त किया गया है।